संख्याः303/2024/1290/35-4-2024/35-4099/3/2021

प्रेषक,

जे0एल0यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 27 दिसम्बर, 2024

विषय: जनपद गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जी0एस0टी0 की अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद गोरखपुर में शासनादेश सं0-101/2020/886/35-4-2020, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 द्वारा स्वीकृत कुल 05 कार्यों में से प्रश्नगत कार्य (उक्त शासनादेश दिनांक 18.12.2020 के क्रमांक 01 पर अंकित) यथा- **कलेक्ट्रेट परिसर गोरखपुर में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण कार्य** हेतु रू0 454.24 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0 227.12 लाख अवमुक्त की गई। तदोपरान्त शासनादेश सं0- 79/2021/1023/35-4-2021 दिनांक 23.06.2021 द्वारा प्रश्नगत कार्य की लागत को धनराशि रु0 346.21 लाख पर पुनरीक्षित किया गया । शासनादेश सं0-76/2022/217/35-4-2022 दिनांक 10.03.2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रु0 119.09 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई | इस प्रकार अद्यतन कुल धनराशि रु0 346.21 लाख (100%) निर्गत की जा चुकी है |

2- योजना पर स्वीकृत जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत है, परन्तु माह जुलाई, 2022 के पश्चात भारत सरकार के नियमानुसार कतिपय कार्यो / वस्तुओं पर जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत से बढाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी है।

3- उक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी, गोरखपुर के पत्र संख्या-405/त्0आ0वि0यो0/2024-25 दिनांक 24.07.2024 एवं पत्र सं0-800/त्0आ0वि0यो0/2024-25 दिनांक 19.10.2024 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु धनराशि रू0 85,31,289/- के सापेक्ष 18 % की दर से जी0एस0टी0 के रूप में रू0 5,11,878/- की मांग की गयी है।

उपर्युक्त के आलोक में प्रश्नगत परियोजना हेतु जी0एस0टी0 की दर 12% से 18% होने के दृष्टिगत एतदद्वारा पूर्णांक के रूप में रू0 5.11 लाख (रूपये पांच लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू. लाख में)

कार्य का नाम	**अनुमोदित लागत**	**पुनरीक्षित लागत**	**धनराशि, जिसके सापेक्ष 18% GST जमा की गई**	**भुगतान की गयी 18 % जी0एस0टी0 की धनराशि**	**शासनादेश में सम्मिलित 12 % जी0एस0टी0 की धनराशि**	**मांग की गई अवशेष GST धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
कलेक्ट्रेट परिसर गोरखपुर में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण कार्य।	454.24	346.21	85.31289	15.35632	10.23754	5.11878	5.11

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 दिनांक 23.06.2021 एवं दिनांक 10.03.2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रू0 5.11 लाख (रूपये पाँच लाख ग्यारह हज़ार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान सं0- 040 के लेखाशीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 60- अन्य भवन 800-अन्य व्यय 03-त्वरित आर्थिक विकास योजना 0304-अधिवक्ताओं के चैम्बर्स/ पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/तहसील स्तर पर अधिवक्ता/वादकारी के लिए स्थायी ढांचें के चालू कार्य के लिये एकमुश्त व्यवस्था 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
जे0एल0यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या:303/2024/1290(1)/35-4-2024/35-4099/3/2021 /तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त गोरखपुर मण्डल।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर ।
13. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,गोरखपुर ।
14. संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन ।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
जे0एल0यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।